# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 18/598

1. बिरधी लाल आुय 35 वर्ष आत्मज जवाहरी लाल जाति धाकड निवीस ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. प्रेमशंकर आयु 33 वर्ष आत्मज जवाहरी लाल जाति धाकड निवासी ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. मनोहर लाल आुय 55 वर्ष आत्मज नाथू जाति गुर्जर निवासी ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. सोना बाई आयु 30 वर्ष पत्नी श्री देवराज जाति गुर्जर निवासी ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. दुर्गाशंकर आयु 37 वर्ष आत्मज श्री घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. सोहनी बाई आयु 35 वर्ष पुत्री घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. भैरूलाल आयु 74 वर्ष आत्मज किशन लाल जाति कलाल निवासी ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. फूलचन्द आयु 70 वर्ष आत्मज किशन लाल जाति कलाल निवासी ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. शिवकरण उर्फ शौकरण आयु 65 वर्ष आत्मज किशन लाल जाति कलाल निवासी ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. उप पंजीयक महोदय उप पंजीयन कार्यालय तालेडा जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राम कैलाश नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 15.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायाल य में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 220 पुरान रकबा कुल 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । साबिक खसरा नम्बर 220 मिन रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 520 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 220 मिन रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 521 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा कायम हुए हैं । वादीगण ने खातेदार विक्रेता भवानीदान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 16.05.1972 को खसरा नम्बर 220 रकबा 14 बीघा में से उत्तर की तरफ की 07 बीघा 11 बिस्वा को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिस पर वादीगण पिछले 43 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 206 दिनांक 19.06.1972 खोल गया । किन्तु उक्त नामान्तरकरण के आधार पर उक्त भूमि को आज दिनांक तक वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है । वादीगण सद्भावी क्रेता है तथा विधिवत रूप से उक्त भूमि को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार बन चुके हैं । वादीगण को अपने पक्ष में खातेदारी घोषणा करवाने का भी अधिकार प्राप्त हो चुका है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित क्रयशुदा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे एवं इस आशय की घोषणा की जावे एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 09 का नाम प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य रूप से दर्ज शिकमी मु0 व शिकमी मु0 के आधार पर बिना किसी आदेश के खातेदार दर्ज कर देने से प्रतिवादीगण व मृतक जमना बाई शिवनारायण का नाम विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण उक्त आराजी में अपना नाम नाजायज रूप से बतौर खातेदार दर्ज होने के उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जावे कि वे वादी की क्रयशुदा आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 31.05.2016 के द्वारा राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 से 6 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राजीनामा दिनांक 27.05.2016 पर अपीलान्ट क्रम 5 व 6 के हस्ताक्षर बिना एवं निर्णय दिनांक 31.05.16 की ऑर्डर शीट पर रेस्पोडेन्ट क्रम 4 लगायत 6 के बिना हस्ताक्षर के डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट क्रम 1 व 2 ने संयुक्त रूप से घनश्याम से खसरा नम्बर 520 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा में से हिस्सा 1/4 दिनांक 01.05.03 को क्रय किया था तब से ही वे उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । इसी प्रकार अपीलान्ट क्रम 4 द्वारा खसरा नम्बर 520 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 521 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा कुल 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि रामलाल, शंकरलाल, किशनचन्द पिसरान नाथू

सीताबाई, रामकुंवार बाई पुत्रियॉ नाथू से 1/4 हिस्सा क्रय किया था तब से ही अपीलान्ट क्रम 4 उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से राजीनामा के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का के पास नकल लेने गया तब हुई जिस पर दिनांक 25.10.2018 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा हक अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और इसमें मिली भगत करके रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 द्वारा पक्षकार डिलीट करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । अपीलान्ट क्रम 06 की तामील हेतु राजस्व कैम्प में प्रकरण रखा गया और झूठे आधार पर अपीलान्ट क्रम 1, 2, 3व 4 के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये और दावा वादी डिक्री कर दिया गया। राजीनामा दिनांक 27.05.2016 पर अपीलान्ट क्रम 5 और 6 के हस्ताक्षर नहीं हैं । निर्णय दिनांक 31.05.2016 की आदेशिका पर रेस्पोडेन्ट क्रम 4 लगायत 6 के हस्ताक्षर नहीं हैं । अपीलान्ट क्रम 1 व 2 ने संयुक्त रूप से घनश्याम व जानकी बाई से खसरा नम्बर 520 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा दिनांक 01.05.2003 को क्रय किया था । अपीलान्ट क्रम 4 ने खसरा नम्बर 520 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 521 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा कुल 27 बीघा 19 बिस्वा में से 1/4 हिस्सा क्रय किया था तब से ही अपीलान्ट इस पर काबिज काश्त हैं । इस प्रकार वर्ष 1983 में खसरा नम्बर 520 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा में से हिस्सा 1/24 एवं खसरा नम्बर 521 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा में से हिस्सा 1/24 मनहोर लाल द्वारा क्रय किया था तब से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है । राजीनामा समस्त पक्षकारान के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है सोहनी बाई की तामील भी नहीं हुई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि लोक अदालत में राजीनामा पेश किया गया है । राजीनामा पर पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं और उनकी पहचान की गई है । विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार घोषित किया गया है पूर्व में फ्रेगमेंट का कानून होने के कारण खातेदारी नहीं मिल पायी थी । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः

अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली संशोधित शीर्षक एवं प्रतिवादी क्रम 7 की तलबी में चल रही थी और इसको लोक अदालत में रखा । लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री किया गया है । पत्रावली पर संलग्न राजीनामे का अवलोकन किया गया । राजीनामे पर वादीगण भैरूलाल, फूलचन्द एवं शिवकरण के हस्ताक्षर हैं और प्रतिवादीगण बिरधीलाल, प्रेमशंकर, मनोहरलाल और सोना बाई के हस्ताक्षर हैं । शेष प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं । शेष पक्षकारान में से अपीलान्ट क्रम 5 और 6 एवं प्रतिवादीगण क्रम 5 और 6 के हस्ताक्षर इस राजीनामे पर नहीं हैं । इस राजीनामे को परीक्षण न्यायालय के द्वारा तस्दीक भी नहीं किया गया है और इसी राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री किया है जबकि राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री किये जाने के लिए समस्त पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा पेश होना और न्यायालय के द्वारा तस्दीक किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर वाद को डिक्री करने में त्रुटि की है जो खारिज किये जाने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि पक्षकारान राजीनामे से प्रकरण का निरस्तारण करवाना चाहते हैं तो उनसे विधिक राजीनामा प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । समस्त पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश नहीं किये जाने की स्थिति में गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा